न्यायालय–विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट मण्डला(म.प्र.)
(समक्ष–हेमराज सनोडिया)

Registration No.-BA/493/2026

Filling No.-BA/3309/2026

CNR NO.-MP51010045302026

Filling Date-11-08-2026

योगेश उइके पिता प्रकाश उइके, उम्र 19 वर्ष,
निवासी वार्ड नं0–03 घुटास रोड, पुजारी टोला हर्राभाट,
थाना व तहसील बिछिया, जिला मण्डला म0प्र0

....आवेदक / अभियुक्त.

/ / विरूद्ध / /

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा–आरक्षी केन्द्र मोतीनाला,
जिला मण्डला (म.प्र.) **.....अभियोजन।**

:: सत्यप्रतिलिपि आदेश दिनांक–12.08.2026 ::

12.08.2026 माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के मिसलीनियस क्रिमिनल केस नंबर 8227 / 2023 के पैरा–9 में दिए गए आदेश के पालन में प्रकरण से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है :–

क.	तथ्य	जानकारी
1	प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक	47 / 26
2	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने का दिनांक	दिनांक–18.05.2026
3	थाने का नाम	थाना मोतीनाला
4	आपराधिक पूर्ववृत्त / आवेदक का आपराधिक पूर्व वृत्तांत	–निरंक–
5	गिरफ्तारी दिनांक	दिनांक–29.05.2026
6	जमानत आवेदन पत्र अनसंधान के दौरान प्राप्त हुआ है अथवा चालान प्रस्तुत होने के बाद	चालान प्रस्तुत होने के बाद
7	यदि जमानत आवेदन चालान प्रस्तुत होने के बाद प्रस्तुत हुआ है तो चालान प्रस्तुत होने की तारीख	दिनांक–08.07.2026

आवेदक/अभियुक्त द्वारा श्री मनीष चौधरी अधिवक्ता उपस्थित।

अभियोजन द्वारा श्रीमती शीतल उइके ए0डी0पी0ओ0 /विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

अभियोक्त्री को जारी सूचना–पत्र के पालन में अभियोक्त्री अपनी संरक्षक मॉ के साथ उपस्थित।

पत्रावली जमानत आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

जमानत आवेदन के निराकरण हेतु मूल अभिलेख विशेष प्र0क0–40/2026, ''म0प्र0शासन विरूद्ध योगेश उइके'' अन्तर्गत धारा–332(बी), 137(2), 87, 65(1), 64(2)(एम) बी0एन0एस0, धारा 3/4(2), 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट प्रस्तुत।

आवेदन पर उभयपक्षों को सुना गया।

इस आदेश द्वारा आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–483 बी0एन0एस0एस0 का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में, पैरोकार प्रकाश उइके के शपथ–पत्र एवं घोषणा–पत्र में उक्त आवेदन **प्रथम** नियमित जमानत आवेदन पत्र होना एवं अन्य कोई आवेदन किसी सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न ही लंबित होना, न ही निराकृत होना दर्शाया है। जिसका कोई खंडन विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वह पूर्णतः निर्दोष है, उसके विरूद्ध अभियोक्त्री की मॉ के द्वारा मिथ्या रूप से रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। वह नवयुवक है तथा अपने परिवार का कर्ता सदस्य है, उसके निरंतर जेल अभिरक्षा में रहने से उसके परिवार पर गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जायेगा। वह मण्डला जिले का स्थायी निवासी है, उसकी चल–अचल सम्पत्ति मण्डला जिले में स्थित है, उसके पलायन की कोई संभावना नहीं है। वह आदेशित शर्तों का पालन करने को तत्पर है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया है।

आवेदन के साथ ही आवेदक/अभियुक्त के आपराधिक रिकार्ड के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकार्ड निरंक है।

मध्यप्रदेश शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हुये जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभियोक्त्री एवं उसकी मॉ के द्वारा उक्त आवेदन का कोई लिखित जवाब प्रस्तुत न कर जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने में आपत्ति होना व्यक्त किया गया है।

उभय पक्ष के तर्क प्रकाश में मूल अभिलेख विशेष प्र0क0–40/2026 का अवलोकन किया गया।

अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में यह है कि दिनांक–18.05.2026 को थाना मोतीनाला में अभियोक्त्री की मॉ के द्वारा दिनांक–14.05.2026 के दोपहर 01.00 बजे से उसकी नाबालिग पुत्री अभियोक्त्री उम्र 15 वर्ष, 01 माह, 02 दिन के द्वारा पाण्डुतला बाजार जाने की बात बोलकर अपने साथ सफेद रंग के बैग में कपड़े लेकर जाने एवं वापस घर नहीं आने तथा उसे कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला–फुसलाकर भगाकर ले जाने संबंधी रिपोर्ट लेख कराये जाने पर थाना मण्डला में अप0क0–47/2026 अन्तर्गत धारा–137(2) बी0एन0एस0 पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

विवेचना के दौरान दिनांक–28.05.2026 को अभियोक्त्री के दस्तयाब होने पर पूछताछ में अभियोक्त्री ने बताया कि वह अपने चाचा के घर में रहकर पढ़ाई करती है, उसके चाचा के साढू भाई का लड़का आवेदक/अभियुक्त योगेश उइके का उसके एवं उसके चाचा के घर में आना–जाना होते रहता है। जब उसके चाचा–चाची घर पर नहीं रहते थे, तब आवेदक/आवेदक योगेश उइके घर के अन्दर आकर उसके साथ गलत काम बलात्कार करता था, पहली बार दो महिना पहले मार्च के महीने में चाचा–चाची अपने बच्चों के साथ चाची के मायके में शादी के कार्यक्रम में गये हुए थे, उसी रात को आवेदक/अभियुक्त योगेश उइके चाचा के घर पर अन्दर आया था और उसके साथ गलत काम बलात्कार किया था। वह डर

के कारण किसी को नहीं बतायी। इसके बाद इन दो महीनों में आवेदक/अभियुक्त योगेश कई बार उसके चाचा के घर पर उसके साथ गलत काम बलात्कार किया था। दिनांक–14.05.2026 को सुबह 07.00 बजे करीबन जब चाचा काम करने गये हुए थे, तब उनके मोबाइल पर आवेदक/अभियुक्त योगेश ने फोन लगाकर उससे बात किया और बोला कि वह केरल आ जाये, केरल आने के लिए मजदूर बुकिंग की गाड़ी बिछिया से आ रही है, उसी में वह भी आ जाये, वहीं रहकर वह भी काम करे, वह बिछिया तक आ जाये और उसकी में बैठकर आये। तब वह उसी दिन करीबन 01 बजे दोपहर पाण्डुतला बाजार जा रही है, घर में मॉ को बताकर घर से निकली थी और मोतीनाला बैंक के सामने से आटो में बैठकर बिछिया गयी। वहॉ से बुकिंग की गाड़ी शाम 04.00–05.00 बजे मिली, उसी गाड़ी में बैठकर केरल चली गयी। केरल पहुॅचने के बाद उसे आवेदक/अभियुक्त योगेश लेने आया जोकि ग्राम पुकारा, थाना मुन्नार, जिला ईडुकी, केरल में जहॉ काम करता था, उसी कम्पनी के कमरा में उसे रखा था। आवेदक/अभियुक्त योगेश उसेअपने साथ 05–दिन तक रखा। आवेदक/अभियुक्त योगेश उससे कहता था कि वह उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, तब उसने बोली कि वह नाबालिक है, वह अभी उससे शादी नहीं कर सकती, तब आवेदक/अभियुक्त योगेश उइके उसकी बातों को नहीं माना और उसे बहला–फुसलाकर उसके साथ कई बार गलत काम बलात्कार किया है। एक बार उसने अपनी मम्मी को फोन लगायी तो मम्मी बोली कि थाने में रिपोर्ट कर दिये हैं, तब उसे आवेदक/अभियुक्त योगेश उसी गाड़ी में बैठाकर भेज दिया, तब वह दिनांक–26.05.2026 को अपने घर आ गयी थी, उसने अपनी मॉ से आवेदक/अभियुक्त योगेश उइके की सारी बात बतायी थी।

उक्त आधार पर आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध थाना मण्डला के अप0क0–47/2026 अन्तर्गत धारा–137(2) बी0एन0एस0 में धारा–332(बी), 64(2)(एम), 65(1), 87 बी0एन0एस0, धारा 4(2), 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट ईजाफा किया

गया है। आवेदक/अभियुक्त को दिनांक–29.05.2026 को गिरफ्तार किया गया है, तब वह न्यायिक अभिरक्षा में है।

इस न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा–332(बी), 137(2), 87, 65(1), 64(2)(एम) बी0एन0एस0, धारा 3/4(2), 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये हैं तथा वर्तमान में प्रकरण अभियोजन साक्ष्य की अवस्था पर है।

इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध यह आरोप है कि उसने पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत आने वाली 16 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री के चाचा के घर में गृहअतिचार कारित कर अभियोक्त्री की मर्जी के बिना उसके साथ बार–बार शारीरिक संबंध स्थापित किया एवं अभियोक्त्री का व्यपहरण किया। यद्यपि बचाव पक्ष के तर्क अनुसार प्रकरण में अभियोक्त्री की साक्ष्य हो चुकी है, जिसमें अभियोक्त्री ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है किन्तु मात्र उक्त आधार पर इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त की निर्दोषिता के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है बल्कि उभय पक्ष की साक्ष्य के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर ही दिया जा सकता है। साथ ही प्रकरण में डी0एन0ए0 रिपोर्ट प्राप्त है, जिसके अनुसार सकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अतः आवेदक/अभियुक्त पर आक्षेपित अपराध की गंभीरता तथा वर्तमान समय में अवयस्क बालिकाओं की अस्मिता के विरूद्ध बढ़ते अपराधों को दृष्टिगत रखते हुये, प्रकरण के गुण–दोषों पर कोई टिप्पणी किये बगैर आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत **प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा–483 बी0एन0एस0एस0 <u>निरस्त</u>** किया जाता है।

आदेश की एक प्रति मूल अभिलेख के साथ संलग्न की जावे तथा आदेश की एक प्रति सचिव, विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला की ओर सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

जमानत पत्रावली का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सही/–

(हेमराज सनोडिया)

विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट

मण्डला म0प्र0

प्रतिलिपि–

1– मूल अभिलेख विशेष प्र0क0–40/2026, ''म0प्र0शासन विरूद्ध योगेश उइके'' अन्तर्गत धारा–332(बी), 137(2), 87, 65(1), 64(2)(एम) बी0एन0एस0, धारा 3/4(2), 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट के साथ संलग्न किये जाने हेतु।

2– सचिव, विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

HEMRAJ SANODIYA
Digitally signed by HEMRAJ SANODIYA
Date: 2026.08.12 17:05:24 +0530

(हेमराज सनोडिया)
विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट
मण्डला म0प्र0